पटना में दिनांक–04 जून, 2013 मंगलवार को अपराह्न 03:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. कृषि रोड मैप अंतर्गत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/ बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत मत्स्यकी/कृषि अभियंत्रण/गव्य प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) प्रदान करने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कुल 405.00 लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा वर्ष 2013–14 में 40.50 लाख रूपये सहायक अनुदान के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

2. बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस में सिपाहियों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से इण्टरमीडिएट (10+2) करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

3. श्री निर्मल पासवान को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त दिनांक–01.03.1985 से 31.08.1989 तक अधिसंख्य पद कनीय प्रवर कोटि पु०नि० का एक अधिसंख्य पद दिनांक–01.09.1989 से 31.08.1992 तक कनीय प्रवर कोटि पु०नि० का एक अधिसंख्य पद दिनांक–01.09.1992 से 31.12.1995 तक वरीय कोटि पु०नि० की अधिसंख्य पद सृजन करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

4. बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7(5) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–1038 दिनांक–12.03.2003 द्वारा अधिसूचित कर की दरों में संशोधन। — 4. स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. श्री मदन मोहन प्रसाद, से०नि० विशेष सचिव, वित्त विभाग की निदेशक (अन्वेषण), सांस्थिक वित्त के पद पर संविदा पर नियोजन को पुनः एक वर्ष के लिए विस्तारित करने के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

6. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 25000.00 लाख (दो अरब पचास करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप व्यय की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

7. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में 15000.00 लाख (एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप व्यय की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. पटना उच्च न्यायालय, पटना के कम्प्यूटर कोषांग हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में निबंधक आई०टी०–सह–सी०पी०सी० वेतनमान रू० 51550–1230–58930–1380–63070/–का एक (01) पद गैरयोजना मद में स्थायी रूप से सृजन। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. जिला परिषद् एवं विभिन्न शहरी निकायों में अनुबंध पर नियोजित सेवानिवृत्त 233 माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के नियत वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु ₹ 3,42,72,000 (तीन करोड़ बयालीस लाख बहत्तर हजार) रूपये मात्र विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. पटना जिला के अंचल–बिहटा, मौजा–बाजितपुर, थाना संख्या–65, खाता संख्या–81, खेसरा संख्या–807, रकबा–0.10 एकड़, खाता संख्या–81, खेसरा संख्या–799, रकबा–0.25 एकड़, खाता संख्या–57, खेसरा संख्या–798, रकबा–0.26 एकड़, खाता संख्या–57, खेसरा संख्या–813, रकबा–0.02 एकड़, अर्थात कुल रकबा–0.63 एकड़ बकाश्त मालिक भीठ भूमि बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबध में। — 10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11.	जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित (Absorb) करने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12.	माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी मापदण्ड/नीति निर्धारण की स्वीकृति।	12.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

13.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (जिला परिषद् के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच) को स्वीकृत नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता की राशि 01.04.2013 से दुगना करने के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

विधि विभाग

14.	बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006 बिहार अधिनियम–1, 2007 की धारा–43 में निहित प्रावधानों के तहत गठित न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर श्री उमेश कुमार सिंह, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु योजना मद के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन।	15.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

16.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन "बिहार संग्रहालय समिति" के गठन एवं बिहार सोसायटी निबन्धन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत निबंधन हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति।	16.	स्वीकृत।